जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 वर्षः 29 संख्याः 100 प्रभात अजमेर, शनिवार 9 नवम्बर, 2024 आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान को ''उसके हाल'' पर ही छोड़ा

राजस्थान में हाल ही में होने वाले सात 'बाई इलैक्शन'' में न कोई वरिष्ठ नेता मौजूद है, नेतृत्व प्रदान करने के लिए और न ही धन उपलब्ध है, चुनाव अभियान चलाने के लिए

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 8 नवम्बर। कांग्रेस नेतृत्व ने राजस्थान राज्य इकाई को त्याग दिया लगता है, जहाँ सात उपचुनाव होने वाले हैं।

पार्टी में ना तो वरिष्ठ नेता है ना फण्ड और चुनावों की जिम्मेवारी डोटासरा पर छोड़ दी गई है, जिनके लिए यह कार्य अति दुष्कर है।

पार्टी का अभियान जोर नहीं पकड़ पाया है, क्योंकि, उपचुनावों पर किसी तरह का फोकस नहीं है। सचिन पायलट केवल एक दिन चुनाव प्रचार कर पाए क्योंकि उन्हें चुनाव प्रचार के लिए वायनाड, झारखण्ड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। लेकिन, उनसे राजस्थान चुनावों पर फोकस करने के लिए नहीं कहा गया है।

दूसरे वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को पर्यवेक्षक बनाकर मुंबई भेजा गया है, उन्होंने वहाँ डेरा जमा लिया है और वे राजस्थान में चुनाव अभियान को संभालने के लिए राजी नहीं है।

जब से चुनाव शुरू हुए हैं, तब से राजस्थान के प्रभारी ए.आई.सी.सी. महासचिव रंधावा ने एक बार भी अपना चेहरा तक नहीं दिखाया हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है लेकिन, उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है और जब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तब तक, अपेक्षा की जाती है कि वो अपनी ड्यूटी करेंगे। पिछली बार जब वो यहाँ आये थे, उस समय वे गहलोत की कुशल मंगल पूछने के लिये आये थे, जो उस समय बीमार थे। इसके अलावा, रन्धावा ने स्वयं को यहाँ की चुनाव प्रक्रिया में शामिल करना ठीक नहीं समझा है। झुंझुंनू उपचुनाव की स्थिति बड़ी रोचक है। वहाँ से ओला चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मुस्लिमों में नाराजगी है क्योंकि उनका मानना है कि इस सीट पर ओला परिवार की अगली पीढ़ी को चुनाव मैदान में उतारने के बजाय, इस उपचुनाव में किसी मुस्लिम को टिकट दिया जाना चाहिये था। मुस्लिमों ने चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दे दी है, लेकिन इसके बावजूद, इस मामले को निपटाने के लिये वहाँ किसी भी वरिष्ठ नेता को नहीं भेजा गया है। कांग्रेस के कमजोर चुनाव प्रबन्धन से इन उपचुनावों में पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है, जिनमें 7 सीटें दाँव पर लगी हैं।

- पायलट को एक ही दिन दिया गया, राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए, बाकी समय पायलट को वायनाड, झारखण्ड, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ में घुमाये रखा गया, चुनाव प्रचार में उलझाये रखा गया।
- गहलोत को पर्यवेक्षक के रूप में मुम्बई भेजा गया, और वे वहां खुश हैं, तथा चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान आने को ज्यादा इच्छुक नहीं हैं।
- राजस्थान इंचार्ज, रंधावा ने राजस्थान में अभी तक अपना मुंह नहीं दिखाया है, जब से राजस्थान में उपचुनाव का काम शुरू हुआ है। रंधावा का दावा है, वे प्रभारी पद से त्यागपत्र दे चुके हैं, पर अभी उन्हें ही काम सम्भालने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, जब तक नया प्रभारी नियुक्त नहीं होता है।
- प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जरूर पार्टी का झण्डा लेकर खड़े हैं, पर, न उनका राजनीतिक कद इतना ऊँचा है, न ही पकड़ कि उपचुनाव में पार्टी को नेतृत्व प्रदान कर सकें। उदाहरण के लिए झुंझनूं में कांग्रेस के पुराने वफादार, बगावत के मूड में हैं, टिकट न मिलने की वजह से, पर अभी तक मुसलमानों का जोश ठण्डा करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं हुए हैं, क्योंकि इस ''स्टेटस'' (रूतबे) का नेता उपलब्ध नहीं, जो यह जिम्मेदारी उठा सके।

सरकारी दफ्तरों में नहीं होगा तम्बाकू का इस्तेमाल

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 8 नवम्बर। सरकार ने सरकारी दफ्तरों में सिगरेट पीने एवं तम्बाकू के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

सरकार के आदेश के अनुसार, सिगरेट, गुटखा या किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद का उपयोग किसी भी सरकारी कार्यालय या उसके परिसर में नहीं किया जायेगा। सरकार के इस कदम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा दफ्तरों के पर्यावरण का खयाल रखना है।

- सरकार ने सरकारी कार्यालयों में धूम्रपान तथा गुटखा, जर्दा के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन हुआ तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

इस आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर नियमों का उल्लंघन होता है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। सरकारी दफ्तरों में ''नो स्मोकिंग'' तथा ''नो टोबैको'' बोर्ड भी लगाये जायेंगे, जिससे कि कर्मचारियों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रम्प दोस्त हैं, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए भारत को

ट्रम्प का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि भारत को उनके प्रति सतर्कता बरतनी होगी

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 नवंबर। इससे पहले कभी भी किसी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव ने दुनिया भर में इतनी व्यापक रूचि और चिंता पैदा नहीं की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि, संभावित राष्ट्रपति ने अमेरिका की नीतियों के बारे में आशंकाओं और चिंताओं को जन्म दिया है, जो पूर्व निश्चित कथानक के अनुरूप चलने का वादा नहीं करतीं।

ट्रम्प का नया शासनकाल फायदे और नुकसान का दौर होगा, जिसमें नैतिक मूल्यों तथा स्थाई मित्रताओं और शत्रुताओं के लिए कोई जगह नहीं होगी। भारत को यह विश्वास नहीं करना चाहिये कि ट्रम्प भारत और नरेन्द्र मोदी के प्रति मित्रवत है। इसके बजाय, सजग एवं चैकन्ना रहना होगा।

डॉनल्ड ट्रम्प ने आयातों पर कठोर शुल्क दरें प्रस्तावित की हैं, इस सोच के तहत कि, भारी शुल्क लगाने से प्रमुख आयात बंद हो जाएंगे और फिर स्वाभाविक रूप से अमेरिका का उत्पादन बढ़ेगा।

ट्रम्प ने चुनाव प्रचार के अपने भाषणों में चाइनीज़ आयातों पर कम से कम 60 प्रतिशत शुल्क लगाने का वादा किया था। इसी स्तर के टैरिफ और ''नॉन-टैरिफ बैरियर्स'' अन्य देशों से आने वाले माल पर भी लगाये जाएंगे, जिनमें भारत तथा यूरोप में अमेरिका के ''नाटो'' मित्र देश भी शामिल हैं।

इस प्रकार के शुल्क अमेरिकन उपभोक्ता को आहत करेंगे तथा इसके फलस्वरूप, महँगाई बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए और ज्यादा होगा क्योंकि ट्रम्प ने देश के अन्दर टैक्स की बड़ी कटौतियों का वादा किया है, जिससे उपभोक्ता माँग बढ़नी चाहिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का भी वादा किया है कि अमेरिकन ब्लू कॉलर वर्कर्स की स्थिति बेहतर हो तथा उनका पारिश्रमिक अच्छी मात्रा में बढ़े।

इस प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन से माँग बढ़नी चाहिए क्योंकि उपभोक्ता की आमदनी बढ़ेगी। शुल्क बढ़ जाने से विदेशों से आने वाला सामान सीमित तथा महँगा हो जायेगा तथा इससे सभी चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। ऐसी स्थिति में दो ही विकल्प होंगे-या तो वैकल्पिक सप्लाई लाइन तैयार की जाये, या फिर घरेलू उत्पादन में बड़ी मात्रा में वृद्धि हो।

दूसरी तरफ, कीमतें बढ़ने से केन्द्रीय बैंक मुद्रास्फीति-विरोधी नीति अपनाने का दबाव पड़ेगा। इसका अर्थ यह होगा कि फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी। इस प्रकार इन सभी वादों से स्थिति एकदम अव्यवस्थित हो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- ट्रम्प ने चुनाव अभियान में चीन के आयात पर 60 प्रतिशत टैक्स लगाने का वादा किया है ऐसा वे अन्य देशों, जिनमें भारत भी है, के साथ कर सकते हैं।
- ट्रम्प ने चुनावों में महंगाई कम करने, वेतन बढ़ाने, उपभोक्ता डिमांड में वृद्धि जैसे कई वादे किए हैं, इन सभी वादों को पूरा करने में अमेरिकन अर्थव्यवस्था की दशा बिगड़ सकती है।
- इसमें कोई संदेह नहीं है, कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था से विश्व के अनेक देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, देखना यह है कि ट्रम्प की इकोनॉमिक्स अमेरिका व अन्य देशों को किस तरह से प्रभावित कर सकती है।

नागा विद्रोहियों ने फिर से हिंसा शुरू करने की धमकी दी

नागा विद्रोहियों ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने 2015 में किए गए एग्रीमैंट का पालन नहीं किया है

- श्रीनन्द झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 8 नवम्बर। करीब तीन दशकों के युद्ध-विराम के बाद, नागा विद्रोह एक बार फिर अपना सिर उठाने की धमकी दे रहा है। ''नैशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (इसाक मुईवाह) ने आज एक बयान जारी कर भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने ''2015 के समझौते की भावना के साथ विश्वासघात'' किया है। इस अलगाववादी ग्रुप ने ''सशस्त्र हिंसक प्रतिरोध फिर से शुरू करने'' की भी धमकी दी है।

नागा-विद्रोह, जो भारत में सबसे पुराना है, का उद्देश्य नागा जाति का एक पृथक देश स्थापित करना है, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के एकीकृत हिस्सों के साथ ही पड़ोसी म्यांमार के कुछ हिस्से होंगे, जिनमें नागा जाति के लोगों की बहुतायत है। यह संघर्ष 1947 में शुरू हुआ था तथा अब तक इस संघर्ष में अनुमानत: करीब 20,000 लोग मारे जा चुके हैं। भारतीय सुरक्षा बलों तथा (एन.एस.सी.एन.) (आई-एम) के बीच पिछली सदी के अंतिम दशक में युद्धविराम की स्थिति बनी थी तथा 1997 में लागू हो गया था। इसके बाद, 2015 में नई दिल्ली के साथ एक समझौता हुआ था। एन.एस.सी.एन. ने एक बयान में कहा है, ''लेकिन नागा-मागें पूरी नहीं हुई हैं तथा वार्ता गतिहीन स्थिति में रूकी हुई हैं।'' ग्रुप के प्रमुख थुंगालेंग मुईवाह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा केन्द्र सरकार से कहा है कि वे 2015 के समझौते का ''आदर और सम्मान करें।'' उन्होंने कहा कि इस समझौते में अलगाववादियों के लिए सम्प्रभुता संपन्न धव्ज तथा संविधान के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- नागा विद्रोही संगठन, नैशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड (इसाक-मुईवाह) गुट ने सशस्त्र विद्रोह शुरू करने की धमकी दी व कहाकि, हमारी मांगे पूरी नहीं की गई हैं।
- गौरतलब है कि, नागा विद्रोह भारत में सबसे पुराना सशस्त्र विद्रोह है जो पृथक राष्ट्र ''नागालिम'' के निर्णय के लिए शुरू किया गया था। सन् 1947 से यह संघर्ष चल रहा है, इसमें अब तक 20 हजार लोग मारे जा चुके हैं।

मलिंगा को 2 सप्ताह में सरैंडर करने के आदेश

जयपुर, 8 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (जे.वी.वी.एन.एल.) के ए.ई.एन. से मारपीट के मामले में धौलपुर के बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा को दो सप्ताह में सरेंडर करने को कहा है। जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन और जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश गिर्राज सिंह मलिंगा की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है।

सुनवाई के दौरान, पीड़ित पक्ष की ओर से फोटोग्राफ पेश कर अदालत को बताया गया कि प्रकरण में उससे गंभीर मारपीट हुई है। इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की मारपीट को सहन नहीं किया

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरैंडर करने के बाद ही मलिंगा की विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई होगी।

क्लीन एनर्जी पर ट्रम्प के रूख से भारी नुकसान होगा अमेरिका को

अमेरिका के इस नुकसान से भारत जैसे देशों के लिए नए अवसर पैदा होंगे

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 8 नवम्बर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प का एक मुख्य चुनावी वादा था कि वो ''क्लीन एनर्जी पॉलिसीज़'' (स्वच्छ ऊर्जा नीतियों) को कम करेंगे। इस कदम से अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है तथा घरेलू सौर ऊर्जा एवं बैटरी उत्पादन में बाधा आ सकती है। लेकिन, हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार, इससे भारत जैसे देशों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं।

जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी में, नैट ज़ीरो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लैब की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इन नीतियों को वापस लेने से अमेरिका को कारखानों, नौकरियों, कर राजस्व और निर्यात में तकरीबन 50 बिलियन डॉलर तक का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि, भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश, जहाँ क्लीन टैकनॉलजी उत्पाद का आधार बहुत मजबूत है, उन्हें आपूर्ति श्रृंखला में 80 बिलियम डॉलर तक का लाभ हो सकता है।

भारत विशेष रूप से, इलैक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में वृद्धि देख सकता है। चीन को भी लाभ होने की उम्मीद है। खासकर बैटरी उत्पादन में। यदि अमेरिका क्लीन टैक्नॉलजी के लिए अपने समर्थन को कम करता है, तो भारत की उत्पादन क्षमता व निवेश के अवसर बढ़ेंगे तथा उच्च निर्यात और संभवत: कम ऊर्जा कीमतों के माध्यम से भारत को लाभ हो सकता है तो भारत को भविष्य में क्या फायदा होगा? भारत ने अक्षय ऊर्जा में निवेश किया है खास कर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में और भारत का लक्ष्य ऊर्जा निर्माण का वैश्विक केन्द्र बनता है। अगर अमेरिका इन उद्योगों को समर्थन व सहायता देने में कमी करता है तो भारतीय संसाधनो को वैश्विक बाजार पर काबिज होने में आसानी होगी। खास कर सोलर पैनल और बैटरी निर्माण में भारत का मार्केट शेयर बढेगा, क्योंकि घरेलू व अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी मांग बढ़ रही है।

अमेरिका की कुछ क्लीन टैक कम्पनिया उन देशों में निवेश कर सकती है जहां क्लीन एनर्जी के अनुकूल नीतियां है। भारत इस क्षेत्र में विदेशी निवेश सहभागिता और टैकनीक ट्रांसफर को आकर्षित कर सकता है क्योंकि भारत क्लीन एनर्जी प्रोजैक्ट के लिए आदर्श देश है। अगर अमेरिका क्लीन एनर्जी निर्यात में कमी करता है तो भारत अन्य देशों के बाज़ारों में अपना निर्यात बढ़ा सकता है। खासकर एशिया, अफ्रीका व यूरोप में।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- ट्रम्प ने चुनाव अभियान में क्लीन एनर्जी पॉलिसी को हल्का करने का वादा किया था। जॉन हॉपकिन्स युनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है इससे अमेरिका को निर्यात में 50 अरब डॉलर का नुकसान होगा साथ ही रोजगार व राजस्व भी घटेगा।
- इससे क्लीन एनर्जी के वैश्विक बाजार में भारत, जापान, कोरिया व चीन का दबदबा बढ़ेगा।
- भारत में सौर ऊर्जा व पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारी ग्रोथ देखी जा रही है।
- कहा जा रहा है कि अब क्लीन एनर्जी उत्पादन में जुटी अमेरिकन कम्पनियां भी भारत व अन्य देशों में निवेश कर सकती हैं।

'दिल्ली में धुँध की मोटी परत छायी'

नयी दिल्ली, 08 नवंबर। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को 15 इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के स्तर को पार कर गया। वायु प्रदूषण से राजधानी वासियों को अभी कोई राहत निकती नजर नहीं आ रही है। राजधानी के कई इलाकों में हवा में प्रदूषण स्तर गंभीर स्तर पर पहुंच जाने से स्वास्थ्य के लिये खतरनाक साबित हो रहा है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आज सुबह सात बजे के आंकड़ों के अनुसार, राजधानी के बबाना इलाके में सबसे अधिक सूचकांक 440 तक पहुंच गया। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाये जाने के कारण दिल्ली में सुबह धुंध की मोटी परत छायी रही।

राजधानी में आज उच्चतम वायु गुणवत्ता सूचकांक 440 तक पहुंच गया, जबकि औसत आंकड़ा 383 दर्ज किया गया। गुरुवार को दिल्ली में यह सूचकांक 366 था, जो शाम चार बजे

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- कुछ इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 440 तक पहुँचा।

सुप्रीम कोर्ट की सात सदस्यीय बैंच ने अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी को अल्प संख्यक संस्था माना

बहुमत (4-3) से पारित सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय इस तर्क पर आधारित है, कि कोई भी संस्था इसलिए अपना अल्प संख्यक व्यक्तित्व नहीं खो देती, क्योंकि वह एक ''स्टैचूट'' के माध्यम से गठित हुई है

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 8 नवम्बर। वर्ष 1967 के अपने ही फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ मुस्लिम युनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को बहाल करने का रास्ता साफ कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस संस्थान का गठन कानून द्वारा किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बैंच ने 4:3 के बहुमत से यह फैसला किया है। कोर्ट ने 1967 के एस. अजीज़ बाशा बनाम भारत सरकार केस में फैसला दिया था कि संस्थान का निर्माण कानून से हुआ है इसलिए यह अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा नहीं कर सकती।

मुद्दा यह था कि क्या संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत गठित संस्थान अल्पसंख्यक है या नहीं। अब बहुमत के फैसले को आधार बनाकर 3 जजों की सामान्य बैंच मामले की सुनवाई करेगी।

अजीज़ बाशा केस में कोर्ट ने फैसला दिया था कि ए.एम.यू. अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा नहीं कर सकता क्योंकि इसका निर्माण कानून के तहत हुआ है। पर शुक्रवार को चीफ जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय बैंच ने उक्त फैसले को पलट दिया और कहा कि चूंकि यह संस्थान कानून द्वारा निर्मित है इसलिए इसका अल्पसंख्यक स्टेटस नहीं छीना जा सकता। बागा ने कहा कि कोर्ट को यही फैसला करना चाहिए कि युनिवर्सिटी किसने स्थापित की थी इसके पीछे किसका दिमाग था। और अगर इस जांच में किसी अल्पसंख्यक का नाम आता है तो अनुच्छेद 30 के अनुसार यह संस्थान अल्पसंख्यक स्टेटस का दावा कर सकता है। इस आधार पर संविधान बैंच ने यह मामला साधारण बैंच को सौंप दिया है।

चीफ जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड़ ने अपने अंतिम कार्य दिवस पर यह फैसला सुनाया। स्वयं ही जस्टिस चंद्रचूड़ जस्टिस संजीव खन्ना, जे. बी. पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा थे। बहुमत ने कहा कि ''अजीज़ बाशा केस के निर्णय कि एक शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित नहीं माना जा सकता अगर इसका आधार एक कानून है, को बदला जाता है।

जस्टिस सूर्यकांत के कुछ मसलों पर बहुमत के पक्ष में ही थे। लेकिन वे इस बात पर सहमत थे कि अजीज़ बाशा केस में अदालत के फैसले को संशोधित व स्पष्ट किया जाना चाहिए। जस्टिस दिपांकर दत्ता और एस. सी. शर्मा ने भी विरोध जताया।

संविधान बैंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी. वाय. चन्द्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जे. बी. पारदीवाला दिपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और एस. सी. शर्मा एक रैफरेंस की सुनवाई कर रहे थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से उपजा था कि अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने 8 दिन की सुनवाई के बाद एक फरवरी को फैसला रिज़र्व रख लिया था। विचार के लिए जो रैफरैंस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- यह विचार उस समय हाई-लाइट हुआ था, जब अलीगढ़ विश्व विद्यालय ने अपने मेडिकल कॉलेज में पी.जी. कोर्स के लिए 50 सीटें अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित कर दी थीं, क्योंकि ए.एम.यू. एक अल्पसंख्यक संस्था है।
- सुप्रीम कोर्ट का मत था, कि, किस मकसद से इस संस्था का गठन हुआ था, तथा किस तरह से इसका अब तक संचालन हुआ है, उसके आधार पर यह निर्णय लिया जायेगा, कि संस्था अल्पसंख्यक संस्था है या नहीं।

राज्य की 23 हजार खानों में कार्य जारी रहेगा

जयपुर, 8 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की 23000 खानों के संचालन के मामले में नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एन.जी.टी.) के आदेश की समय सीमा को एस.एल.पी. की सुनवाई तक बढ़ा दिया है। चीफ जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इसके साथ ही, अदालत ने मामले की सुनवाई 12 नवंबर को करने के लिए प्रकरण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सुप्रीम कोर्ट ने आदेश की समय सीमा को एस.एल.पी. की सुनवाई तक बढ़ा कर राज्य सरकार को बड़ी राहत दी।